रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 1997/ फाल्गुन 1, 1918
No. 103] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 1997/PHALGUNA 1, 1918

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1997

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

का. आ. 126 (अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी, 1997 से करती है।

[फा. सं. 1-1/94-टी सी ओ (जिल्द IX)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunication)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1997

ESTABLISHING THE TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

S.O. 126 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Ordinance, 1997 (Ord. 11 of 1997), the Central Government hereby establishes the Telecom Regulatory Authority of India with effect from the 20th day of February, 1997.

[File No. 1-1/94-TCO(Vol. IX)]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1997

का. आ. 127 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस. एस. सोढी को, भारतीय

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1-1/94-टी सी ओ(जिल्द IX)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1997

S.O. 127 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 read with sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Ordinance, 1997 (Ord. 11 of 1997), the Central Government hereby appoints Justice (Retired) S. S. Sodhi as Chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India for a period of five years from the date on which he enters upon his office.

[File No. 1-1/94-TCO(Vol. IX)]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1997

का. आ. 128 (अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश 11) की धारा 5 की उपधारा (3) और धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी. के. जुत्शी को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उनके पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती है। उन्हें उक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है।

[फा. सं. 1-1/94-टी सी ओ (जिल्द IX)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1997

S.O. 128 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 read with sub-section (3) of section 5 and sub-section (2) of section 6 of the Telecom Regulatory Authority of India Ordinance, 1997 (Ord. 11 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri B.K. Zutshi as a Member of the Telecom Regulatory Authority of India for a period of five years from the date he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years whichever is earlier. He is also appointed to be the Vice-Chairperson of such Authority.

[File No. 1-1/94-TCO(Vol. IX)]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1997

का. आ. 129 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश 11) की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एन. एस. रामचन्दरन को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उनके पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1-1/94-टी सी ओ (जिल्द IX)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1997

S.O. 129 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 read with sub-section (3) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Ordinance, 1997 (Ord. 11 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri N.S. Ramachandran as a Member of the Telecom Regulatory Authority of India for a period of five years from the date he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[File No. 1-1/94-TCO(Vol. IX)]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997